न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल , आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 38 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सायला,पंचायत समिति सायाल, जिला जालोर		1.मांगीलाल पुत्र छोगालालजी, जाति जैन,निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत सायला, जरिए सरपंच, ग्राम पंचायत सायला

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सायला,दिनांक 14.2.2013(पट्टा सं.2356)

उपस्थितिः–

1.श्री अशोककुमार माली , विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।

2. अप्रार्थी सं.1, 2अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 28.2.2020

1. प्राथीा के निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला द्वारा जरिए पत्र कमांक / पं.स.सा. / पंचायत / 2019 / 2070–71 दिनांक 12.2.2019 से बताया कि अप्रार्थी सं.1को भी जारी पट्टा ,जांच रिपोर्ट में नियम विरूद्ध पाया गया, निगरानी पेश करने की कार्यवाही करे,उक्त पट्टा ममता नगर सायला में आवेदक ने भूमि होना बताया जिसके साथ शपथपत्र में नजरी नक्शा दिनांक व मकान के पडौस खाली है तथा नाप भी शपथपत्र में अंकित नही है, प्लोट के दक्षिण दिशा में स्वयं का पडौस दर्शाया है जिससे जाहिर होता हैं कि अप्रार्थी ने आवेदित प्लोट के पास पडी भूमि पर कब्जा किया है, अप्रार्थी सं.1 निवर्तमान ग्राम पंचायत सायला की कार्यकारिणी में उपसरपंच के पद पर था, पत्रावली में दिनांक 5.1.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत होना, दिनांक 30.1.13को आवेदन के विरूद्ध उजरदारी प्रस्तुत करने का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया जो दिनांक 30.1.13 को जारी किया गया , दिनांक 11.2.13 को 260 / –रूपये लेकर अप्रार्थी सं.1 के हक में पट्टा जारी किया गया , आदेशिकाओं पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, उक्त भूमि परिवर्तनसुदा आबादी है जिसका पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है, मौका रिपोर्ट में जिन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है वो उक्त कार्यकाल में वार्डपंच नहीं थे,

आपत्ति इश्तिहार एवं उजरदारी प्रस्तुत करने माफिक नियम अवधि 30 दिन निर्धारित है बावजूद पट्टा नियम विरूद्ध जारी करवाया, प्रार्थनापत्र में अप्रार्थी सं.1 ने ममता नगर में प्लोट होना एवं उसकी सनद व कन्वर्शन होना भी उल्लेखित किया है, परन्तु प्रार्थनापत्र में आवेदन की तारीख अंकित नही है, ,प्रारूप 23–क नियम 157 (1)राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत् पट्टा प्राप्त करने के लिए 50 वर्ष से अधिक का कब्जा व पुश्तैनी कब्जा तथा50 प्रतिशत निर्माण होना माफिक नियम है परन्तु मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त प्लोट को खाली बताया गया है तथा आपत्ति इश्तिहार में भी भूमि का विवरण व प्रार्थनापत्र में स्थिति भिन्न है, उक्त पट्टे की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट परिवादी अश्विनी राजपुरोहित द्वारा परिवाद दर्ज करवाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् जालोर द्वारा की गई है जिसमें भी उक्त पट्टे को नियम विरूद्ध माना है, उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला द्वारा दिनांक 12.2.19 को पत्र जारी करने पर हुई,जिस पर प्रार्थी ने अन्दर म्याद प्रार्थनापत्र पेश किया है, अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 के हक में जारी पट्टा सं. 2356दिनांक 14.2.2013 को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र,फहरिस्त के साथ पट्टे की नकल आदि फोटो प्रमाणित प्रति पेश की, प्रार्थी ने दिनांक 25.3.20 को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र व शपथपत्र पेश किया, इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं.1,2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है।

2. प्रार्थी के वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि सरपंच ने कन्वर्शनसुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो नियम 157(1) के तहत् जारी किया गया है जबकि नियम 157(1) के तहत् 50 वर्षो से अधिक का कब्जा व 50 प्रतिशत निर्माण होने पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है,मौका निरीक्षण रिपोर्ट व आपत्ति इश्तिहार पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है, आपति इश्तिहार की अवधि 30 दिन निर्धारित है जबकि आपत्ति इश्तिहार दिनांक 30.1.13 को जारी किया गया जबकि पट्टा दिनांक 14.2.2013को जारी किया गया जो म्याद अवधि पूरी होने के पूर्व जारी किया गया है, अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा सं.2543 दिनांक 14.2.13 खारिज करावे।

3. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत् ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहो को निर्धारित राशि जमा कर विधिक प्रकिया अपना कर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में 1250 वर्गफुट का पट्टा सं. 2543 दिनांक 14.2.2013 को जारी किया।

प्रार्थी मांगीलाल द्वारा खसरा नम्बर 1304 में पुश्तैनी कब्जासुदा /रजिस्ट्रीसुदा प्लोट का पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया, ग्राम पंचायत सायला की खसरा नम्बर 1304 में पट्टा जारी करने की आज्ञा दिनांक 5.1.13, 30.1.13, 11.2.13 पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है, आपत्ति इश्तिहार दिनांक 30.1.13 तथा मौका निरीक्षण दिनांक 15.1.2013 पर किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।अतः ग्राम पंचायत सायला द्वारा उक्त पट्टा सं. 2543 दिनांक 14.2.2013 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन कर जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत सायला द्वारा अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 2543 दिनांक 14.2.2013 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 28.2.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर